प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या C-48 /बा0वि0परि0/योजना/2020–21 दिनांक : 13 मई, 2020

विषयः शिशु आहार पूर्ति को बढ़ावा दिये जाने, एवं IMS Act के प्रभावी अनुपालन में कोविड–19 को दृष्टिगत करते हुये कामर्शियल शिशु आहार की मुफ्त आपूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार बाल मृत्यु दर तथा कुपोषण को कम करने के लिए कृत संकल्प है। यह सर्वविदित है कि 1 घण्टे के अन्दर स्तनपान, 06 माह तक सिर्फ स्तनपान तथा 06 माह पूर्ण होने के उपरान्त मॉ का दूध के साथ गाढ़ा उपरी आहार एवं 2 साल तक स्तनपान ही शिशु का सर्वोत्तम आहार है और पोषण अभियान के अन्तर्गत यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। मां का दूध शिशु के सर्वांगीण मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है तथा छोटे बच्चों में डायरिया, निमोनिया एवं कुपोषण से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान धात्री महिलाओं एवं नवजात शिशुओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाना है। यह समय ऐसा है कि परिवार तथा मातायें तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। तनाव के कारण दूध बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है तथा कई बार दूध का बहाव कमजोर हो सकता है। स्तनपान बाधित होने की संभावना सबसे अधिक महामारी के दौरान होती है और माता/परिवार आसान विकल्प की खोज में रहते हैं। यही वह समय है जब हमें अधिक प्रयास कर स्तनपान व उपरी आहार व्यवहार की निरन्तरता को सुनिश्चित करना है। कृत्रिम दूध व उपरी आहार के डिब्बे विकल्प के रूप में कई बार गलत तरीके से प्रोत्साहित (promote) किये जाते हैं।

उक्त के संबंध में कोविड–19 के दौरान यूनिसेफ का अभिमत है, "डिब्बा बन्द दूध के प्रयोग से परिवार धीरे–धीरे कृत्रिम दूध और आसानी से उपलब्ध विकल्पों का सहारा ले लेते हैं जिससे शिशु मां के दूध से वंचित रह जाते हैं। साथ में मां के आत्मविश्वास में भी कमी आती है। कोविड जैसी महामारी के समय कमर्शियल बेबी फूड का परिवार केन्द्रित अथवा वृहद स्तर पर वितरण रोकने हेतु सरकार तथा सभी विकासशील संस्थाओं को आगे आना चाहिए।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्तनपान मोटापा एवं बाद में होने वाले उच्च रक्तचाप व दिल सम्बन्धी रोगों को भी अपेक्षाकृत कम करता है। ऐसे में 6 माह से पहले शिशु को डिब्बा बन्द दूध या 6 माह बाद डिब्बा बन्द आहार बच्चों में मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सलाह दी गई है कि यदि कोविड के दौरान मां स्तनपान कराने में सक्षम नहीं है तो दूध को कटोरी में निकालकर कटोरी चम्मच से पिला सकती है। यदि मां इतनी ज्यादा बीमार है कि दूध नहीं निकाल कर भी नहीं दे सकती है, तो स्तनपान कराने के लिये एक दूसरी महिला से सहयोग ले सकती है। प्रत्येक दशा में मुह पर मास्क लगाते हुये तथा हाथों

Scanned with CamScanner

को साफ रखना है। प्रायः यह देखा गया है कि महामारी के दौरान कृत्रिम दूध बनाने वाली कम्पनियां जनपद स्तर पर शिशुओं तथा परिवारों को डिब्बा बन्द दूध/कृत्रिम दूध पाउडर की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कामर्शियल शिशु आहार स्तनपान तथा उपरी आहार का स्थान ले लेता है और बच्चों को कुपोषण के चक्र में डाल देता है।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू Infant milk Substitution feeding Bottles and Infant foods (Regulation of Production, supply and Distribution) Act, 1992 as amended in 2003 (IMS Act) के निम्न प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने की अपेक्षा एवं निर्देश दिये गये हैं :–

1. गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं उनके परिवारों को मुफ्त सैम्पल, दूध की बोतल एवं कृत्रिम आहार देने पर प्रतिबन्ध
2. दो वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए डिब्बा बन्द दूध कृत्रिम शिशु आहार के प्रोत्साहन पर प्रतिबन्ध है।
3. गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्तनपान सम्बन्धी उचित स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा/परामर्श देना।
4. किसी भी प्रसार के माध्यम से कमर्शियल शिशु आहार को दूसरे विकल्प के रूप में प्रचारित करना वर्जित है।
5. स्वास्थ्य एवं पोषण संस्थाओं को इस कम्पनियों द्वारा किसी भी प्रकार का डोनेशन देने पर प्रतिबन्ध है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है। कृपया जनपदों के समस्त स्वास्थ्य एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों एवं कोविड–19 में कार्य कर रहे NGO को कड़ाई से इस एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13-5-20

(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।

(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

Scanned with CamScanner